न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

(विधि शाखा)

ज्ञापांक 1803 /विधि सहरसा, दिनांक 22-6-2023

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आँगनबाड़ी पुन0 वाद सं0-89/2015 में दिनांक-20.06.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है।

प्रतिलिपि :- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के साथ ही उनके पत्रांक 892/सपत्र दिनांक 28.06.2013 से संबंधित संचिका संख्या-18-95/2011 अभिलेख पृ0सं0-01 से 26 तक मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :-यथोपरि।

प्रतिलिपि :- श्रीमती मधुलता देवी, पति-मनोज कुमार साह सा0-करहवाना, ग्राम पंचायत-लक्ष्मीपुर खुन्ती, प्रखंड+थाना-छातापुर, जिला-सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

21/6/23

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३
20/06/2023		

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

विविध वाद (आँगनबाड़ी) पुनरीक्षणवाद संख्या-89/2015

श्रीमती मधुलता देवी.....पुनरीक्षणकर्त्ता

-बनाम-

राज्य.....रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत विविध (आँगनबाड़ी) वाद श्रीमती मधुलता देवी, पति-मनोज कुमार साह, सा0-करहवाना, ग्राम पंचायत-लक्ष्मीपुर खुन्ती, प्रखंड+थाना-छातापुर, जिला-सुपौल के द्वारा जिला पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा अपीलवाद सं0-23/2012 में दिनांक 24.07.2012 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है, जिसके द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के आदेश ज्ञापांक-594/प्रो0, दिनांक 24.04.2012 से श्रीमती मधुलता देवी, सेविका केन्द्र सं0-213, पासवान टोला करहबना, परियोजना को केन्द्र संचालन में अनियमितता बरतने के कारण चयनमुक्त कर दिया है।

संदर्भित मामला संक्षेप में निम्न प्रकार है :-

दिनांक 15.09.2021 को प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण प्रखंड विकास पदाधिकारी, छातापुर के द्वारा किये जाने पर पाया गया कि निरीक्षण के समय केन्द्र पर 21 बच्चे उपस्थित थे। केन्द्र पर अवैध पंजीकरण किया गया था। लाभार्थियों की सूची केन्द्र पर प्रदर्शित नहीं थी। दिनांक 01.09.2011 से 14.09.2011 तक स्कूल पूर्व शिक्षा अन्तर्गत उपस्थिति नहीं बना था। उनके द्वारा केन्द्र संचालन में पायी गई उक्त अनियमितताओं के लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल को संबंधित सेविका श्रीमती मधुलता देवी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई। तदालोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के पत्रांक 1123/प्रो0, दिनांक 26.11.2011 से संबंधित सेविका से स्पष्टीकरण की मांग की गई तथा निर्धारित तिथियों को सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। सेविका द्वारा निर्धारित तिथियों को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण समर्पित किया गया तथा अपना पक्ष भी रखा

गया। उनके द्वारा रखे गये सभी साक्ष्य एवं तथ्य फर्जी पाये जाने के कारण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के आदेश ज्ञापांक 594/प्रो0, दिनांक 24.04.2012 से श्रीमती मधुलता देवी, सेविका केन्द्र सं0-213, पासवान टोला को केन्द्र संचालन में पूर्व से ही अनियमितता बरतने के आरोप में चयनमुक्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी के द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के समक्ष अपीलवाद सं0-23/2012 दायर किया गया। उक्त वाद में सभी पक्षों की सुनवाई के उपरान्त दिनांक 24.07.2012 को आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा वादी के अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के आदेश को सम्पुष्ट किया गया।

सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी एवं विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया तथा निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

वादी की ओर से बहस में भाग लेते हुए उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि निरीक्षण प्रतिवेदन के अवलोकन से वादी के विरूद्ध मुख्य आरोप यह है कि निरीक्षण के समय 15 से अधिक बच्चे उपस्थित थे। केन्द्र का संचालन संतोषप्रद नहीं है तथा दिनांक 01.09.2011 से 14.09.2011 तक बच्चों की उपस्थिति दर्ज नहीं है। उक्त निरीक्षण प्रतिवेदन में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के स्तर से सुधार की आवश्यकता बतायी गई है तथा केन्द्र की प्रतिवेदित स्थिति के लिए उनके द्वारा पर्यवेक्षण नहीं किये जाने को मुख्य कारण माना गया है, किन्तु उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि सेविका को चयनमुक्त कर दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 01.09.2011 से 14.09.2011 तक सेविका बीमार थी, जिस कारण पंजी का संधारण नहीं किया जा सका। उनका यह भी कहना है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल का आदेश ज्ञापांक-594/प्रो0, दिनांक 24.04.2012 विभागीय निर्देश के अनुरूप नहीं है। विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा विभागीय पत्रांक 2121 दिनांक 20.06.2012, जिसके द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्रों की जाँच के पश्चात एक समान परिस्थिति में एक जैसा निर्णय तथा कार्रवाई करने हेतु दिए गए संशोधित दिशानिर्देश की प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि मार्गदर्शिका में उल्लेखित है कि "केन्द्र संचालन की निर्धारित अवधि में किसी भी समय आँगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत बच्चों की संख्या बिना पर्याप्त कारण के 14 या 14 से कम पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में उस केन्द्र की सेविका को चयनमुक्त करने की कार्रवाई की जाय।" साथ ही यह भी वर्णित है कि "आँगनबाड़ी केन्द्रों का नामांकित (पंजीकृत) बच्चे अगर पन्द्रह है या पन्द्रह से अधिक है, लेकिन चौबीस या चौबीस से कम है, तो बच्चों की संख्या बढ़ाने हेतु एक चेतावनी दी जाएगी तथा सुधार का एक मौका दिया जाएगा। अगर अगले जाँच में भी यही पाया जाता है तो मानदेय में कटौती

की जाएगी।" उनके अनुसार प्रश्नगत मामले में मार्गदर्शिका के उक्त प्रावधानों का उल्लंघन कर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के द्वारा वादी को चयनमुक्त करने के साथ-साथ बच्चों की उपस्थिति के आधार पर पोषाहार के अंतर राशि की गणना कर विगत छः माह की वसूली हेतु निदेश दिया गया है। तदालोक में उनके द्वारा जिला पदाधिकारी, सुपौल के अपीलवाद सं0-23/2011 में पारित आदेश ज्ञापांक 1102/प्रा0 दिनांक 28.07.2012 तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), सुपौल के वाद सं0-71/2011 में पारित आदेश ज्ञापांक-594/प्रा0, दिनांक 24.04.2012 को रद्द करते हुए पुनरीक्षण आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता का पक्ष सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोंपरान्त परिलक्षित होता है कि वादी के द्वारा केन्द्र संचालन में अनियमितता बरती गई तथा वादी के द्वारा इस स्तर पर भी कोई ऐसा साक्ष्य/तथ्य नहीं रखा गया जिस पर पूर्व में निम्न न्यायालय के द्वारा विचार नहीं किया गया हो। तदालोक में निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश सही है तथा उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद को खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

20/6/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

20/6/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।